**RBE No.87/2014**

**भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA**
**रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS**
**(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)**

**NO.E(NG)I-2008/PM1/15** **New Delhi, dated 07.08.2014**

The General Managers (P)
All Indian Railways & PUs.
(As per Standard List).

*Sub : Implementation of Recommendations of 6th CPC – Merger of grades – Revised Classification and mode of filling up of non-gazetted posts – Scheme for filling up of vacancies after 31.12.2013.*

*Ref: Board's letters of even no dated 03.09.2009, 07.06.2010, 21.11.2011, 23.05.2012, 15.1.2013, 24.05.2013, 03.01.2014 & 16.06.2014 on the above subject.*

After implementation of 6th CPC and consequent merger of grades into single grade pays, the methodology to be followed in calculating the DR, LDCE quota etc., as a change in percentage distribution of merged grades, has been under consideration of Board.

2. Consequently, it has been decided that total strength of merged grades may be taken into account while calculating DR, LDCE quota etc.

Please acknowledge receipt of this letter.

**(Amita Bhalla)**
Deputy Director-II/ E(NG)I
Railway Board.

D:©ankaj:Pankaj's Office:PM1 Letters 250

RB-1509
13 AUG 2014

आरबीई सं. 87/2014

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं.ई (एनजी)I-2008/एमपी1/15 नई दिल्ली, दिनांक 07.08.2014

महाप्रबंधक (पी),
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.
(मानक सूची के अनुसार)

**विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना - ग्रेडों का विलय - संशोधित वर्गीकरण और अराजपत्रित पदों को भरने की विधि - 31.12.2013 के बाद रिक्तियों को भरने की योजना।**

**संदर्भ: उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 03.09.2009, 07.06.2010, 21.11.2011, 23.05.2012, 15.1.2013, 24.05.2013, 03.01.2014 और 16.06.2014 के समसंख्यक पत्र।**

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और ग्रेडों के एक ग्रेड पे में परिणामी विलय के बाद विलय किए गए ग्रेडों के प्रतिशतता वितरण में परिवर्तन के रूप में सीधी भर्ती, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का कोटा आदि की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है।

2. परिणामस्वरूप, यह विनिश्चय किया गया है कि सीधी भर्ती, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के कोटे आदि की गणना करते समय विलय किए गए ग्रेडों की कुल संख्या को ध्यान में रखा जाएगा।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

(अमिता भल्ला)
उप निदेशक-II/स्था(अराजपत्रित)I
रेलवे बोर्ड

महाप्रबंधक, उत्तर-प.
13 AUG 2014